समाहरणालय, खगड़िया।

बिहार सरकार
E-mail :- dwokhabcebc@gmail.com
dwo-kha-bih@nic.in

(कल्याण शाखा)

अनु0जाति एवं अनु0जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत गठित ''जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति'' की दिनांक 19.08.2020 को आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत खगड़िया जिले में गठित ''जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति'' की बैठक दिनांक 19.08.2020 को जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तदोपरांत बैठक हेतु निर्धारित कार्यावली के अनुरूप बिन्दुवार समीक्षा की गयी एवं निम्नांकित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।

प्रस्ताव सं0:– 01

जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 23.06.2020 को सम्पन्न समिति की बैठक में दिये गये अनुपालन से संबंधित प्रतिवेदन समिति को पढ़कर सुनाया गया जिसे समिति ने सर्वसवम्मति से पारित किया गया।

प्रस्ताव सं0:– 02

जिला कल्याण पदाधिकारी, खगडिया के द्वारा सर्वप्रथम बताया गया कि पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से पाँच नये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें दो प्रस्ताव हत्या से संबंधित है एवं अन्य प्रस्ताव गाली–ग्लौज मारपीट से संबंधित है जिसकी सूची निम्नलिखित है :–

क्र0	थाना कांड संख्या	I.P.C की धारा	F.I.R में SC/ST Act की धारा	प्रावधानित राशि	पीड़िता पक्षकार का नाम एवं पता	मुआवजा की राशि का प्रावधान	मुआवजा राशि हेतु प्राप्त अभिलेख	स्वीकृत राहत सहायक राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मुफ्फसिल थाना कांड सं0 97 / 19 दिनांक 03.02.2020	341/323/325/337 /427/504/ 506/34 भा0द0वि0	3(i)(x) SC.ST. Act मार पीट गाली–ग्लौज	1,00,000/-	भीखन राम पे0–स्व0 नथुनी राम सा0–रांकोडीह, थाना–मुफसिल, जिला–खगडिया।	1. एफ0आई0आर0 25% 2. चार्जशीट पर 50% 3. न्यायालय द्वारा दोष शिद्ध होने पर 25%	एफ0आई0आर0 पृ0– 15 / प0 चार्जशीट पृ0– अप्राप्त	25,000/-	
2	अनु0जाति / जनजाति थाना कांड सं0 33 / 17 दिनांक 02.11.2017	504/506/ 509 भा0द0वि0 एवं 67 आई0टी0 एक्ट	3(i)(r)(w) (ii) SC.ST. Act मार पीट गाली–ग्लौज	1,00,000/-	बेबी देवी पति–सत्यनारायण पासवान सा0–सन्हौली, वार्ड नं0–05 थाना–चित्रगुप्तनगर, जिला–खगड़िया।	1. एफ0आई0आर0 25% 2. चार्जशीट पर 50% 3. न्यायालय द्वारा दोष शिद्ध होने पर 25%	एफ0आई0आर0 पृ0–5 / प0 चार्जशीट पृ0 1–2 / प0	75,000/-	
3	मुफ्फसिल थाना कांड सं0 547 / 13 दिनांक 05.09.2013	302 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट	3(2(v) SC.ST. Act हत्या	-	अंगद पासवान पे0–रामबदन पासवान सा0–दुर्गापुर, थाना–मुफसिल जिला–खगड़िया।	—	एफ0आई0आर0 पृ0 24 / प0 चार्जशीट पृ0–15–16 / प0	पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 1430 दि0 02.01.2020 के द्वारा 5,62,500 / – रूपये का भुगतान किया जा चुका है। अब अनुदान की राशि का कोई भी वकाया शेष नहीं है।	

क्र0	थाना कांड संख्या	I.P.C की धारा	F.I.R में SC/ST Act की धारा	प्रावधानित राशि	पीड़िता पक्षकार का नाम एवं पता	मुआवजा की राशि का प्रावधान	मुआवजा राशि हेतु प्राप्त अभिलेख	स्वीकृत राहत सहायक राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	चौथम थाना कांड सं0–17/17 दिनांक 18.01.2017	302/328 भा0द0वि0	3(2(v)SC.ST. Act हत्या	8,25,000/-	संजू देवी पति–रविश पासवान सा0–नीरपुर, थाना–चौथम, जिला–खगड़िया।	1. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद 50% 2. शेष अंतिम प्रतिवेदन के बाद (18 जनवरी, 2016 से प्रभावी)	एफ0आई0आर0 पृ0–27/प0 चार्जशीट पृ0–6–7/प0 न्यायालय द्वारा निर्णय प्राप्त है।	8,25,000/-	
5	चौथम थाना कांड सं0–173/18 दिनांक 01.09.2018	341/323/337/308/379/34 भा0द0वि0	-	-	रीना देवी पति–स्व0 रवि कुमार तांती सा0–तेलौछ, थाना–चौथम, जिला–खगड़िया।	—	—	—	

प्रस्ताव सं0:– 03

सूची के क्रमांक 5 पर अंकित प्रस्ताव में चौथम थाना कांड सं0 173/18 के वादिनी रीना देवी, पति–रवि कुमार तांती के मामले में वादी एवं प्रतिवादी के एक ही जाति के रहने के कारण उक्त प्रस्ताव में अनुदान की राशि देय नहीं है।

प्रस्ताव सं0:– 04

पेंशन :– सूची क्रमांक 3 वादी अंगद पासवान, पे0–रामबदन पासवान, सा0–दुर्गापुर, थाना–मुफसिल, जिला–खगड़िया, मुफसिल थाना कांड सं0–547/13 दिनांक 05.09.2013 से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा की गयी। उक्त प्रस्ताव में नियम 1995 एवं संशोधित नियम 2011 के नियम 12(4)(21) के अन्तर्गत अनु0जाति या अनु0जनजाति से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों को मो0 3000/– रूपये प्रति माह की दर से मृत्यु की तिथि से पेंशन देय है।

प्रस्ताव सं0:– 05

पेंशन :– सूची क्रमांक 4 वादी संजू देवी, पति–रविश पासवान, सा0–नीरपुर, थाना–चौथम, जिला–खगड़िया, चौथम थाना कांड सं0–17/17 दिनांक 18.01.2017 से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा की गयी। उक्त प्रस्ताव में नियम 1995 एवं संशोधन नियम 2016 के नियम 12(4)(46) के अन्तर्गत अनु0जाति या अनु0जनजाति से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रित को मो0 5000/– (पाँच हजार) रूपये की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता जैसे संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है वही देय है लेकिन मृत शिलू कुमारी का उम्र 15 वर्ष है, जो नावालिक एवं अविवाहित है और इनपर कोई आश्रित नहीं है इसलिए पेंशन देय नहीं है।

प्रस्ताव सं0:– 06

जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया ने विशेष लोक अभियोजक को वादी/वादिनी को वाद के सुनवाई में उपस्थिति हेतु यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता का भुगतान करने हेतु विशेष लोक अभियोजक को उपस्थिति भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:– विशेष लोक अभियोजक, खगड़िया)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

21/8/20

जिलाधिकारी
खगड़िया।

सं0सं0 159/19 ज्ञापांक 631 दिनांक 22/8/2020

प्रतिलिपिः– जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि संबंधित कार्यवाही को NIC के Website पर प्रदर्शित करें।

प्रतिलिपिः– उप निदेशक, कल्याण मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

21/8/20

जिलाधिकारी
खगड़िया।

सं0सं0 159/19 ज्ञापांक 631 दिनांक 22/8/2020

प्रतिलिपिः– महानिदेशक अभियोजन, अभियोजन निदेशालय (गृह विभाग) बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि तांती जाति को मुआवजा देने के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन दिया जाय ताकि मार्गदर्शन के अनुरूप तांती जाति को मुआवजा देने पर विचार किया जा सके।

21/8/20

जिलाधिकारी
खगड़िया।